मद 4 (1) (ख)-(i)

संगठन, प्रकार्य और कर्तव्यों का विवरण

<u>मद 4 (1) (ख)-(i)</u>
संगठन, प्रकार्य और कर्तव्यों का विवरण

1. **संगठन का नाम एवं पता** : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

2. **संगठन के प्रमुख** : श्री राजीव शर्मा (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

3. **विजन एवं मिशन और प्रमुख उद्देश्य:**

विजन

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामी श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है: दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्त्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ-साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के करण सदा-सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

प्रमुख उद्देश्य

1) विशेष रूप से थर्मल और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में विद्युत परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना।
2) विद्युत पारेषण और वितरण कार्यों को वित्त-पोषित करना।
3) ऐसे संयंत्रों की उपलब्धता और निष्पादन में सुधार लाने के लिए विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना।
4) प्रणाली सुधार और ऊर्जा संरक्षण योजनाओं को वित्त-पोषित करना।

5) पूंजीगत उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत सहित इस तरह के उपकरणों की मरम्मत की सुविधा, इंजीनियरों और संचालन एवं विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में कार्यरत कर्मियों के लिए वित्त-पोषण करना।

6) विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच के लिए वित्त-पोषण करना।

7) विद्युत विकास और आपूर्ति में प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध अध्ययन, योजनाओं, प्रयोगों और अनुसंधान गतिविधियों को वित्त-पोषित करना।

8) वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन और विकास के लिए वित्त-पोषण करना।

9) कंपनी की संबंधित गतिविधियों में परामर्शी सेवाओं को बढ़ावा देना, व्यवस्थित करना या आगे बढ़ाना।

10) विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित पूंजीगत उपकरण के निर्माण के लिए वित्त-पोषण करना।

11) विद्युत परियोजनाओं हेतु फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज रखने वाली उन गतिविधियों के लिए वित्त-पोषण और सहायता प्रदान करना, जिसमें विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए कोयला एवं अन्य खनन गतिविधियों का विकास, विद्युत क्षेत्र के लिए अन्य ईंधन आपूर्ति की व्यवस्थाओं का विकास, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, रेलवे लाइनों को बिछाना, सड़कों, पुलों, पोर्ट और बंदरगाहों को बनाना शामिल है और इस तक सीमित भी नहीं है तथा इसमें ऐसी अपेक्षित अन्य सक्षम बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना भी शामिल है।

4. **प्रकार्य और कर्तव्य**: अपने उपभोक्ता और ग्राहकों के संबंध में निगम के प्रकार्यों में निम्नलिखित क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं एवं उत्पाद प्रदान करना शामिल है:

क) वित्तीय और निधि आधारित सेवाएं;

ख) संस्थागत विकास सेवाएं; तथा

ग) अन्य में शुल्क आधारित परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

5. **संगठन चार्ट**: नीचे उल्लिखित लिंक में पीएफसी का संगठनात्मक चार्ट उपलब्ध है:

संगठन चार्ट

6. अन्य ब्यौरा - विभाग की स्थापना, शुरुआत, गठन और विभागाध्यक्ष तथा गठित समितियां

क**)** **कंपनी के गठन के बारे में:**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसकी स्थापना विद्युत क्षेत्र के लिए निधियन करने के प्रतिबद्ध एक वित्तीय संस्थान (एफ़आई) के रूप में 16 जुलाई, 1986 को की गई थी।

आर्थिक, विश्वसनीय एवं दक्ष प्रणालियों और संस्थानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी वित्तीय प्रौद्योगिकीय एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान कर तथा संसाधनों की चेनलिंग कर विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास के प्रतिबद्ध है। निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-4क के अंतर्गत वर्ष 1990 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) घोषित किया गया। वर्ष 1998 में निगम को आरबीआई द्वारा एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकृत किया गया।

पीएफसी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। पीएफसी को जून, 2007 में 'नवरत्न सीपीएसई' का दर्जा प्रदान किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई, 2010 को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' के रूप में वर्गीकृत किया है।

भारत के वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने में पीएफसी की अहम भूमिका है। किसी देश के विकास की गति को उसकी ऊर्जा खपत के आलोक में देखा जाता है। हमारे राष्ट्र के एक बड़े हिस्से के साथ, दुर्भाग्य से, बिजली तक पहुंच के बिना पीएफसी आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा।

ख) विविध विभागों के विभागाध्यक्ष

कंपनी के विभागाध्यक्ष का ब्यौरा नीचे उल्लिखित लिंक में कंपनी के नागरिक चार्टर में उपलब्ध है:-

नागरिक चार्टर

7. समितियां

समितियों का ब्यौरा पीएफसी की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक में वार्षिक रिपोर्ट के भाग निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट में उपलब्ध है:-

http://www.pfcindia.com/Home/VS/72